International Journal of Arts & Education Research

भारतीय समाज एवं मानवाधिकार- एक अध्ययन

डॉ० धर्मवीर महाजन
शोध निर्देशक
समाजशास्त्र विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

संजीव कुमार आत्रेय
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय,
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

मानवाधिकार सम्पूर्ण मानव जाति के हित साधनों की खोज की ओर प्रवृत्त है। वह किसी समाज, राज्य धर्म आदि का विरोधी नही है, यह उनकी संकीर्णता का विरोधी है, जिसके द्वारा मानव को मानव से अलग कर दिया है तथा मानव-मानव में संघर्ष उत्पन्न कर दिया है। यह विज्ञान के संहारक अस्त्रो-शस्त्रों के निर्माण का विरोध करता है, न कि उसके चमत्कारो का। मानवाधिकार उन खतरों एवं संकीर्णताओं से निकालकर एक दूसरे के लिए जीने का सन्देश देता है। समाज के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मानवाधिकार के अर्न्तगत आती है। मानवाधिकारों के अर्न्तगत मानव के अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों तथा उनसे सम्बन्धित स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते समय प्रत्येक व्यक्ति मर्यादाओं, मान को एवं नैतिकता के अधीन होगा, जो कानून द्वारा केवल उसी प्रयोजना हेतु निर्धारण की गई है ताकि अन्य समाज के व्यक्तियों के लिए अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के प्रति स्वीकृत एवं सम्मान सुनिश्चित किया जा सके, जिनसे एक स्वस्थ प्रजातान्त्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था, समान जन-कल्याण के स्वप्न को साकार किया जा सके। इसी से समाज के अर्न्तगत प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन स्तर को स्वंय निर्धारित करे जोकि उसके परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु अधिक उपयुक्त हो, जिनमें उसके भोजन, आवास, चिकित्सा आदि सम्बन्धित आवश्यक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था का बीमारी, बेरोजगारी, शारीरिक अक्षमता, बुढ़ापा आदि परिस्थितियों के अर्न्तगत वह अपनी जीविका अर्जित करने में समर्थ हो सके।

लॉस्की ने कहा था कि-'मानवाधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बगैर सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है।'

एम०ए० सईद का विचार है कि 'मानव अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म सम्मान का अभाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है।'

मानवाधिकारों का वर्गीकरण-

पीढ़ी आधारित अधिकार	अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार
प्रथम पीढ़ी के अधिकार	नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार
द्वितीय पीढ़ी के अधिकार	आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार
तृतीय पीढ़ी के अधिकार	नकारात्मक अधिकार
	सकारात्मक अधिकार

इस वर्गीकरण को हम निम्नलिखित रूप मे स्पष्ट कर सकते हैं-

१.प्रथम पीढ़ी के अधिकार-

अधिकारों की जो संकल्पना (मानवाधिकरों के रूप में) विकसित हुई इसमें नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों का स्थान सबसे प्रमुख है इसी कारण नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों को हम परम्परागत अधिकार भी कहते है। इस कारण नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार कहा जाता है।

२. द्वितीय पीढ़ी के अधिकार-

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। इस पीढ़ी के अधिकार के विकास का कारण पूँजीवादी व्यवस्था की समस्याएँ तथा समाजवादी परम्पराएँ क्रान्तिकारी संघर्ष तथा लोक कल्याण की विचार धारा रही है। इन अधिकारों का विकास नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों को अधिक प्रभावकारी रूप प्रदान करने के लिए हुआ। विशेषतः नागरिक अधिकारों का अपने आप में अधिक महत्व तब तक नही है जब तक कि व्यक्ति के पास आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों का स्थायित्व न हो। वस्तुतः ये एक दूसरे के पूरक है।

३. तृतीय पीढ़ी के अधिकार-

तृतीय पीढ़ी के अधिकारों को सामाजिक समरसता अथवा विश्व बन्धुत्व का अधिकार माना जात हे। बीसवीं शताब्दी के उतरार्द्ध में इन अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय तथा दोनों को अर्थात बीसवीं शताब्दी एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्पाद कहा जाता है। वस्तुतः इस पीढ़ी के अधिकारों का वर्तमान में भी निर्माण काल चल रहा है। ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद २८ में वर्णित है कि 'प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का धारक है जिसमें इस घोषणा में अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य रूप से तृतीय पीढ़ी के अधिकार निम्नलिखित हैः-

- आर्थिक, राजनैतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आत्मनिर्णय का अधिकार
- मानवता की संयुक्त विरासत
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास का अधिकार

१० दिसम्बर १९४८ को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषाणा का परिपत्र जारी हुआ इस परिपत्र में मानवाधिकारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उनका विकास विभिन्न अनुच्छेदों में दिया गया है। इस सार्वभौमिक घोषणा में २७ अनुच्छेदों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के विषय में विस्तृत उल्लेखनीय किया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं-

अनु०-०२

नस्ल, लिंग, रंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थिति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विभेद के बिना प्रत्येक मनुष्य इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जिस देश या प्रदेश का निवासी है उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्राधिकारीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्थिति चाहे कुछ भी हो, वह देश या प्रदेश चाहे स्वतंत्र हो या ट्रस्ट व्यवस्था के अधीन हो, अथवा स्वशासी हो या उसकी प्रभुसत्ता पर कोई मर्यादा लगी हो, उसके आधार पर उस व्यक्ति के साथ कोई विभेद नही किया जायेगा।

अनु०-०३

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है।

अनु०-०४

किसी को भी दास बनाकर या दासता की स्थिति में नही रखा जायेगा। सभी प्रकार की दासता दास-व्यापार निषिद्ध होंगे।

अनु०-०५

किसी को भी यातना नही दी जायेगी और किसी के साथ निष्ठुरतापूर्ण, अमानवीय, या अपमान जनक व्यवहार नही किया जायेगा और न किसी को इस प्रकार को कोई दण्ड दिया जायेगा।

अनु०-०६

प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि उसे हर जगह कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति के रूप मान्य किया जाए।

अनु०-०७

कानून की दृष्टि में सभी समान है और बिना किसी विभेद के कानून की समान सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी को इस घोषणा के विरूद्ध किये जाने वाले विभेद या ऐसा विभेद करने के लिये दिये गये किसी उकसावे के खिलाफ समान संरक्षण का अधिकार है।

अनु०-०८

प्रत्येक व्यक्ति को उसे संविधान या कानून द्वारा प्रदत मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली कार्यवाहियों का सदस्य संक्षेप में राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावकारी रीति से प्रतिकार कराने का अधिकार है।

अनु०-०९

किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार या नजरबंद या निर्वासित नही किया जायेगा।

अनु०-१०

प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण समानता के आधार पर यह हक है कि उसके अधिकारों और दायित्वों का एवं यदि उसके खिलाफ किसी अपराध का कोई आरोप हो तो उसका निर्णय स्वतंत्रता और निश्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा न्यायोचित और सार्वजनिक सुनवाई के आधार पर किया जाए।

अनु०–११

- दण्डनीय अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है जब तक कानून के अनुसार सार्वजनिक मुकदमें में जिसमें उसे अपने बचाव के लिये आवश्यक सारे उपाय सुलभ हो, वह दोषी नही साबित कर दिया जाता।
- किसी को भी कोई ऐसा कार्य करने या न करने के लिए दण्डनीय अपराध का दोशी नही माना जायेगा जिस कार्य को करना या न करना उस समय राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून में दण्डनीय अपराध नही था जब वह कार्य किया गया या न किया गया। साथ ही जब कोई दण्डनीय अपराध किया गया इस समय उसके लिये जितनी दण्ड की व्यवस्था कानून में थी उसे अधिक दण्ड बाद मे किसी भी कारण से नही दिया जायेगा।

अनु०–१२

किसी को भी निजत्व, परिवार, घर और पत्र व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप नही किया जायेगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर प्रहार किया जायेगा। ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को कानून की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं

अनु० – १३

- प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राज्य की सीमा के अन्दर जाने–आने और बसने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश–सहित किसी भी देश से अन्य देश में जाने और फिर अपने देश में लौट आने का अधिकार हैं

अनु०–१४

- प्रत्येक व्यक्ति को अत्याचार से बचने के लिये दूसरे देशों में शरण पाने की कोशिश करने और ऐसी शरण का उपभोग करने का अधिकार है।
- गैर राजनीतिक अपराधो और संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के विपरीत कार्यो के लिये प्रमाणिक रूप से लगाये जाने वाले अभियोग के प्रसंग में इस अधिकार का सहारा नही लिया जा सकता।

अनु०–१५

- प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।
- किसी भी व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने तौर पर वंचित नही किया जायेगा और न उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से महरूम किया जायेगा।

अनु०–१६

- व्यस्क पुरूषों और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता या धर्म की किसी मर्यादा के बिना विवाह करने और घर बसाने का अधिकार है। उन्हे विवाह के सम्बन्ध में विवाहित जीवन के दौरान और विवाह टूटने पर भी समान अधिकार होंगे।
- विवाह भावी दंपत्ति की स्वतन्त्र और पूर्ण सहमति से ही होगा।
- परिवार समाज की प्राकृतिक और मूलभूत समूहगत इकाई है और उसे समाज तथा राज्य से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं

अनु०–१७

- प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरे के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार है।
- किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति से वंचित नही किया जायेगा।

अनु०–१८

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तःकरण और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म या विश्वास बदलने की स्वतन्त्रता और अकेले या दूसरो के साथ मिलकर और सार्वजनिक या निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, व्यवहार, उपासना और अनुपालन के रूप में व्यक्त करने की स्वतन्त्रता भी शामिल है।

अनु०–१९

प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी मत रखने और उसे अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इस अधिकार में किसी के द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर चाहे जो मत रखने और किसी भी माध्यम से तथा (राज्यों की) सीमाओं के किसी बंधन के बिना जानकारी और विचार प्राप्त करने की कोशिश करने प्राप्त करने और दूसरो तक संप्रेषित करने की स्वतन्त्रता का समावेश है।

अनु०–२०

- प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन और किसी भी संघ में शामिल होने का अधिकार है।

- किसी को भी किसी संघ मे शामिल होने के लिये विवश नही किया जा सकता है।

अनु०–२१

- प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या स्वतन्त्रतापूर्वक चुने गये अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवाओं में प्रवेश करने का समान अधिकार है।
- जनता की इच्छा सरकार की सत्ता का आधार होगी। इस इच्छा की अभिव्यक्ति समय-समय पर आयोजित प्रामाणिक चुनावों के माध्यम से की जाएगी और ये चुनाव सार्वजनीन और समान मताधिकार के आधार पर होंगे एवं इनका तरीका गुप्त मतदान या स्वतंत्र रूप से मतदान करने की तुल्य पद्धतियां होगी।
-

२. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार–

सामान्य शब्दों में इन अधिकारों को कार्यक्रमिक अधिकार कहा जाता है मुख्य रूप से इन अधिकारों का जन्म क्रान्तिकारी संघर्ष, समाजवादी परम्पराएँ तथा लोकतन्त्रवादी आन्दोलन में खोजा जा सकता है। ये विस्तृत रूप पर पूँजीवादी विकास के दुर्व्यव्हार की प्रतिक्रियाए है तथा जिसका परिणाम, कामगार था औपनिवेशवादी व्यवस्था में शोषण हुआ ऐतिहासिक रूप से नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के प्रतिस्थानी है। इनकी संकल्पना सकारात्मक स्वरूप में ही है। आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की सूची मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की अर्न्तवस्तु शीर्षक के अर्न्तगत अनुच्छेद २२ से २७ में दी गई है जो निम्नलिखित है–

अनु०–२२

समाज के सदस्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयत्नों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एवं प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनो के अनुसार उन आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के चरितार्थ किये जाने का हकदार है जो उसकी गरिमा और व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए अनिवार्य है।

अनु०–२३

- प्रत्येक व्यक्ति को काम करने अपनी इच्छा से अपना रोजगार चुनने, काम करने की उचित और अनुकूल परिस्थितियॉ पाने और बेरोजगारी के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी विभेद के समान कार्य के लिये समान वेतन पाने का अधिकार है।
- जो कोई भी काम करता है उसे न्याय सम्मत और लाभदायक परिश्रमिक पाने का अधिकार है, ताकि वह अपने लिये और अपने परिवार के लिए, आवश्यक हो तो सामाजिक सुरक्षा के उपाय लेते हुए ऐसा जीवन-स्तर सुनिश्चित कर सके जो मानवीय गरिमा के अनुरूप है।
- अपने हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक संघ बनाने और संघ में शामिल होने का अधिकार है।

अनु०–२४

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटो पर उचित सीमा लगाना और सवेतन अवकाश भी शामिल है।

अनु०–२५

- प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वंय उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपयुक्त हो, जिसमें भोजन, वस्त्र आवास और चिकित्सा संबन्धी देख-रेख की उचित सुविधा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था का और बेरोजगारी, बिमारी, शारीरिक अक्षमता, वैधव्य, बुढ़ापा या उसके बस से बाहर की अन्य ऐसी परिस्थितियों में जिनमें वह अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो जाए, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का समावेश है।
- मातृत्व और बचपन विशेष ध्यान दिये जाने और विशेष सहायता के पात्र है। सभी बच्चो को चाहे उनका जन्म वैवाहिक संबन्धों से हुआ हो या अन्यथा, समान सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

अनु०–२६

- हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और बुनियादी अवस्थाओं में शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा सामान्य रूप से उपलब्ध होगी और प्रतिभा के आधार पर सबको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधा होगी।

- शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को प्रबल बनाने की ओर अभिमुख होगी। वह सभी राष्ट्रों, नस्लों या धार्मिक समूहों के बीच आपसी सदभाव, सहिष्णुता और मित्रता का अभिवर्धन करेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति की रक्षा के प्रयत्नों में सहायक होगी।
- माता-पिता को यह तय करने का प्रथम अधिकार होगा कि उनके बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी जाये।

अनु०-२७

- प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन निर्बाध रूप से भाग लेने, कलाओं का आनंद उठाने तथा वैज्ञानिक प्रगति और उसके लाभों में हिस्सेदारी करने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा निर्मित वैज्ञानिक उपादान या उसके द्वारा सृजित साहित्यिक या कलात्मक कृति से प्रतिफलित नैतिक तथा भौतिक हितों के लिए सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
-

भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार-

भारत के संविधान के भाग-३ में नागरिक के मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है

भाग-३ मौलिक अधिकार (अनु० १२ से ३६ तक)

- समता का अधिकार (अनुच्छेद- १४ से १८)
- स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद - १९ से २२ तक)
- शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद- २३ से २४ तक)
- धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद - २५ से २८ तक)
- संस्कृत और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद- २९ से ३० तक)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद- ३२)

उपरोक्त विवेचना में प्रस्तुत शोध की प्रस्तावना बड़े ही व्यापक व विस्तृत रूप में की गई है। अनुसूचित जातियों की ऐतिहासिक व संवैधानिक व्याख्या का जिक्र करते हुए अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति तथा वर्तमान में की जा रही अनुकरणीय भागीदारी का उल्लेख किया गया है। मानवाधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है तथा महिलाओं के मानवाधिकार हनन के सम्बन्ध में संविधान में उल्लेखित व्यवस्थाओं की पर्याप्त चर्चा की गई हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

१. डा० एस०के० कपूर (२०१३) 'भारत में मानवाधिकार', सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
२. डा० दुर्गादास बसु (२०१२) 'भारत का संविधान- एक परिचय', एक्सिस नेक्सस, गुड़गांव, हरियाणा।
३. गोविन्द सदाशिवे धुरिये (१९६१) 'जाति वर्ण और व्यवसाय', पॉपुलर प्रकाशन, मुम्बई।
४. डा० ओमप्रकाश (२०१०) 'भारतीय दलितों में सामाजिक गतिशीलता एवं राजनैतिक चेतना', कला प्रकाशन, वाराणसी।
५. कमलकान्त प्रसाद (२००३) '२१ वीं सदी में दलितों की सत्ता में भागीदारी', अम्बेडकर इन इण्डिया।
६. डा० विप्लव (२०१२), 'भारत में मानवाधिकार', राहुल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।